न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 27 / 2023 FSSA

1. सरकार जरिये श्री मुकेश प्रजापत
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री महेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री बीरबल सैनी
   एफबीओ मैसर्सः—शीतल गंगा आचार भण्डार, ढाणी बने निवास, भाण्डारेज दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त बहस के दौरान उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 29.01.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 14.02.2023 को दोपहर 03:30 बजे मैसर्स शीतल गंगा आचार भण्डार, ढाणी बने निवास, भाण्डारेज दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय विक्रेता श्री महेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री बीरबल सैनी उपस्थित मिला, जिन्होने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया। जिसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर खाद्य पदार्थ पंजीकरण दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ पंजीकरण होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय प्रतिष्ठान पर एक आलमारी में 400 ग्राम की पैकिंग में पैक केर आचार शीतल गंगा ब्राण्ड **(Kair Pickle Sheetal Ganga Brand)** आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसमें मिलावट का शक होने पर इनमें से 4 मूल पैक **X** 400 ग्राम डिब्बे केर आचार शीतल गंगा ब्राण्ड **(Kair Pickle Sheetal Ganga Brand)** खरीदे। जिसकी कीमत 360 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा केर आचार शीतल गंगा ब्राण्ड **(Kair Pickle Sheetal Ganga Brand)** के चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को डिब्बों पर चिपकाकर डिब्बों को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेटकर डिब्बों पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर **AG**—3171 गोंद से चिपकाकर डिब्बों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर डिब्बों को चार—चार जगह से चपडी से सील मोहर कर डिब्बों पर एफ.बी.ओ. विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द डिब्बों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विकेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (फर्द) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.03.03 11:17:54 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं. 6 की एक प्रति व एक सील बन्द डिब्बा एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बन्द डिब्बा व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा श्री नरेन्द्र शर्मा मुख्यालय द्वारा दिनांक 15.02.2023 को खाद्य विश्लेषक राज. अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द डिब्बा व फार्म नं. 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 15.02.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाया। नमूने का चतुर्थ सील बन्द डिब्बा व फार्म नं. 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 15.02.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ को जमा करवाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त खाद्य पदार्थ केर आचार शीतल गंगा ब्राण्ड **(Kair Pickle Sheetal Ganga Brand)** के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस. / 137 / एक्ट / 2023 / 159 दिनांक 24.02.2023 प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना मिसब्राण्ड पाया गया है। जांच रिपोर्ट में नमूना मिसब्राण्ड पाये जाने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं नियत तारीख पेशी को न्यायालय में उपस्थित आया एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस. / 137 / एक्ट / 2023 / 159 दिनांक 24.02.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ केर आचार शीतल गंगा ब्राण्ड **(Kair Pickle Sheetal Ganga Brand)** के लेबल के नमूने पर **USE BY/EXPIRY-Not Labelled,** होने से उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना **FSS&S Act 2006** के सेक्शन **3(1)(z)(f)(c)(i)** के अन्तर्गत मिसब्राण्ड **(Misbrand)** पाया गया है। जो कि **FSS (Labelling & Display) Regulation 2020 Regulation No. 2.5(10)** का उल्लंघन है। **It is not Labelled accordance to the Regulation.** अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड **(Misbrand)** खाद्य पदार्थ केर आचार शीतल गंगा ब्राण्ड **(Kair Pickle Sheetal Ganga Brand)** का विक्रय कर एफएसएसए की धारा 26 की उप धारा (2)(**II**) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 52 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि मेरी फर्म शीतल गंगा आचार भण्डार से कैर आचार का नमूना जांच के लिये दिया गया था, जिसमे पुराने नियम के चलते मैने डिब्बे की पैकिंग कर **Expiry Date** की जगह **Best Before 12 Month** कर दिया था। हमने इस गलती को तुरन्त प्रभाव से ठीक कर लिया है। नये नियम के हिसाब से **Expiry Date** भी लगाता हूं। भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस. / 137 / एक्ट / 2023 / 159 दिनांक 24.02.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ केर आचार शीतल गंगा ब्राण्ड **(Kair Pickle Sheetal Ganga Brand)** का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की 26 (2) (II) के अनुसार लेबल पर सही जानकारी अंकित नहीं होने से मिसब्राण्ड **(Misbrand)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने मिसब्राण्ड **(Misbrand)** स्तर के खाद्य पदार्थ केर आचार शीतल गंगा ब्राण्ड **(Kair Pickle Sheetal Ganga Brand)** का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 की उप धारा (2) (**II**) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 52 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:17:54 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड **(Misbrand)** स्तर के खाद्य पदार्थ केर आचार शीतल गंगा ब्राण्ड **(Kair Pickle Sheetal Ganga Brand)** का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री महेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री बीरबल सैनी एफबीओ मैसर्सः—शीतल गंगा आचार भण्डार, ढाणी बने निवास, भाण्डारेज दौसा पर 3,00,000/—(अक्षरे तीन लाख रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 29.01.2025 के एक माह के अन्दर—अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित **(Chief Medical & Health Officer Dausa)** के मद 0210—04—800—03—00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 29.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/FSSA/ 2025/ दिनांकः—29.01.2025

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री महेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री बीरबल सैनी एफबीओ मैसर्सः—शीतल गंगा आचार भण्डार, ढाणी बने निवास, भाण्डारेज दौसा।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:17:54 IST
Reason: SelfAttested